संo-75/3055/41–2014–244 सा0/13

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 13, दिसम्बर,2014

विषयः **प्रदेश में वायुसेवा संचालन सम्बन्धी नीति के प्राविधानों में संशोधन ।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढावा देने तथा प्रदेश के सुदुर स्थानों तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्तप्रदेशीय वायुसेवा के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–1301/41–2014–244 सा0/13 दिनांक 16.6.2014 एवं शासनादेश संख्या–1406/41–2014–244 सा0/13 दिनांक 18.6.2014 निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या –1301/41–2014–244 सा0/13 दिनांक 16.6.2014 के प्रस्तर–3 के उप प्रस्तर–1 व 2 को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

1– प्रथम वर्ष में किसी भी उड़ान पर उपलब्ध अण्डरराईट सीटों की संख्या 30 प्रतिशत अथवा 06 सीटें (जो भी कम हो) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत अथवा 09 सीटें (जो भी कम हो) की जाती है।

2– अण्डरराईट सीट की दर रू0–15 प्रति कि0मी0 प्रति सीट से बढ़ाकर रू0–20 प्रति कि0मी0 प्रति सीट इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि

वायु सेवा प्रदाताओं द्वारा वायुमार्गो के किराये का निर्धारण किसी भी मार्ग पर प्रति सीट अण्डरराइट किराये की राशि से कम नही होगा अन्यथा प्रति अण्डरराइट सीट के किराये की प्रतिपूर्ति का आॅक्कलन चार्ज किये गये न्यूनतम किराये की दर के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्तर के अतिरिक्त पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 16.6.2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेगें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
सचिव,

संख्या 3055 (1)/41–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 शशांक विक्रम)
विशेष सचिव।